IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI

FORM OF ORDER SHEET

बन्दोबस्ती अपील वाद सं0–01/2009

मिथिलेश यादव वगै0

बनाम

नागेश्वर यादव वगै0

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.01.2016	**आदेश** यह वाद मिथिलेश यादव पिता–संतोषी यादव एवं अन्य ग्राम–मंगरार टोला–चौडीहा थाना–लक्ष्मीपुर जिला–जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह अपील वाद मिथिलेश यादव ने निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के बन्दोबस्ती वाद सं0–02/2001–02 में नागेश्वर यादव पिता–भूनेश्वर यादव साकिन–मंगरार के नाम से मौजा–मंगरार के खाता सं0–205 के खेसरा सं0–1117 रकवा–12 डी0 एवं खेसरा सं0–1118 रकवा –13 डी0 कुल रकवा–25 डी0 बन्दोबस्त जमीन की बन्दोबस्ती रद्द करने हेतु लाया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थित हैं। अभिलेख में उपलब्ध अपीलार्थी के अपील आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख है कि खतियान में खेसरा नं0–1118 रकवा–13 डी0 गैरमजरूआ मोकरीरदार दर्ज है। खतियान में इस जमीन का किस्म आहर दर्ज है। आहर में पानी जमा रहता है जिससे ग्रामीणों की अन्य जमीनों का पटवन होता है और जमा पानी जानवरों को पीने का काम आता है। यह आहर वर्तमान में अस्तित्व में है और ग्रामीणों के द्वारा आहर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। विपक्षी सं0–1 ने अंचल अमला को मेल में लाकर प्रश्नगत जमीन की बन्दोबस्ती अपने नाम से करवा लिया। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक या अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जमीन की स्थलीय जाँच नहीं किया गया। अंचल कार्यालय द्वारा आम नोटिस का प्रकाशन नहीं किया गया। बन्दोबस्ती का प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित नहीं कराया गया। आदेश फलक में ग्राम सभा के संबंध में बनाबटी कागजात तैयार कर दर्शाया गया है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा आदेश फलक में गलत दर्शाया गया है कि नागेश्वर यादव हरिजन है। विपक्षी नागेश्वर यादव जाति का ग्वाला है जो हरिजन की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी नागेश्वर यादव के पक्ष में किया गया बन्दोबस्ती सरकार की नीतियों के विरूद्ध है। सरकारी नीति के अनुसार हरिजन, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि बन्दोबस्ती करन का प्रावधान है। विपक्षी प्रथम सेट भूमिहीन नहीं है उसके पास पर्याप्त खतियानी जमीन है। विपक्षी प्रथम सेट को खाता सं0–180, 181, 189 में जमीन है जिसका	

649

खतियान उनके परदादा पांचु गोप के नाम से है। विपक्षी प्रथम सेट ने वर्ष 2002 में बन्दोबस्ती पर्चा हासिल किया परन्तु उक्त बन्दोबस्त जमीन पर 5 वर्षों तक कोई कृषि कार्य नहीं किया जिस कारण भी बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन में बन्दोबस्ती वाद सं0– 02/2001–02 में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. विपक्षी प्रथम सेट की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मंगरार के खाता सं0–205 के खेसरा सं0–1117 रकवा–12 डी0 एवं खेसरा सं0–1118 रकवा–13 डी0 कुल रकवा–25 डी0 जमीन की बन्दोबस्ती वर्ष 2002 में विपक्षी नागेश्वर यादव को किया गया था जो बिल्कुल सही है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2002 के बन्दोबस्ती पर्चा को रद्द कराने वास्ते सात वर्षों के बाद वर्ष 2009 में वाद लाया, जो कालबाधित है। उनका यह भी कहना है कि खाता सं0–205 खेसरा सं0–1118 रकवा–13 डी0 खतियान में आहर दर्ज है परन्तु अब वर्षों से कोई आहर नहीं है बल्कि पूरा जोत आबाद वाली जमीन है जिसे वर्षों से विपक्षी जोत आबाद करते चले आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उक्त खेसरा की जमीन पर जमा पानी पटवन के काम आता है। अंचल अधिकारी ने पूरी जाँचोपरांत ऐसा नहीं पाया। अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त विवादित जमीन पर जमा पानी जानवरों को पीने का काम आता है व खेती होती है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि आम सभा नहीं हुआ। मुखिया जन प्रतिनिधि के प्रतिवेदन के साथ आम सभा का प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है। आम सूचना का भी प्रकाशन किया गया है। अपीलार्थी का यह कहना है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने विपक्षी नागेश्वर यादव के संबंध में गलत अंकित किया है कि नागेश्वर यादव हरिजन है। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण आदेश फलक में एक जगह हरिजन का जिक्र किया गया है जो गैर अंदाज हो सकता है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के अंतिम आदेश से स्पष्ट है कि विपक्षी नागेश्वर यादव पिछड़ी जाति के हैं और वर्षों से जमीन के दखल–कब्जा में हैं। इस न्यायालय के आदेश से उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा जाँच की गयी, परन्तु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा बिना विपक्षी को नोटिस दिए, बिना स्थलीय जाँच किए अपीलार्थी के मेल में आकर टेबल रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1400 दिनांक 19.12.12 गलत है, इसमें वास्तविक तथ्यों को नहीं दर्शाया गया है। बन्दोबस्ती अभिलेख में सभी तथ्यों की जाँच–पड़ताल कर बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान किया गया है और बन्दोबस्ती के बाद हल्का कर्मचारी द्वारा नागेश्वर यादव को मालगुजारी रसीद भी निर्गत किया गया है। बन्दोबस्ती के बाद से उक्त जमीन पर विपक्षी का Right, Title एवं Possession चला आ रहा है। अंचल अधिकारी द्वारा किया गया Settlement Final है और Settlement Deed को रद्द करने का कोई Law नहीं है। बन्दोबस्ती वाद सं0–02/2001–02 में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाय।

3. विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज समर्पित किए:–

1. भूमि बन्दोबस्ती परवाना की छायाप्रति।
2. मालगुजारी रसीद सं0–0250559 वर्ष 03–04 की छायाप्रति।

4. उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के माध्यम से इस भूमि का स्थलीय निरीक्षण इस न्यायालय द्वारा कराया गया। उनके पत्रांक 1400/भू0सु0 दिनांक 19.12.12 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मंगरार के खाता सं0–205 खेसरा 1117 में 12 डी0 एवं खेसरा 1118 में 13 डी0 कुल रकवा–25 डी0 जमीन का स्थलीय जाँच दिनांक 07.11.12 को किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत भूमि मंगरार से चौडीहा जाने वाली सड़क के दाहिने में दक्षिण में अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि तालाब स्वरूप पानी का जमाव पाया गया। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर बताया गया कि बरसात के दिन में इसमें पानी का जमाव रहता है जिससे ग्रामीणों की अन्य रैयती भूमि की पटवन होती है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर में जागेश्वर यादव एवं छोटू सिंह, दक्षिण में नागेश्वर यादव एवं पक्की सड़क, पूरब में गैरमजरूआ आम, पश्चिम में जगदीश यादव वगैरह का जमीन है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि के अलावे भी विपक्षी नागेश्वर यादव जिनके नाम से बन्दोबस्ती हुई है को जमीन है जिसके कारण भी यह बन्दोबस्ती के लायक नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामीणों ने प्रश्नगत भूमि जो विपक्षी नागेश्वर यादव के नाम से बन्दोबस्ती हुई है उसे रद्द करने का अनुरोध कर रहे थे। जाँच से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती विपक्षी के नाम से होना उचित नहीं है। यह जमीन सभी ग्रामीणों के उपयोग के लिए है। विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूमि की जो बन्दोबस्ती हुई है उसे रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।

5. अपने बहस में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब में कही गई बातों को दोहराया।

6. इस बन्दोबस्ती रद्दीकरण वाद का मुख्य आधार आवेदक ने यह दिया है कि बन्दोबस्त भूमि का किस्म खतियान में आहर है व यह पटवन के सार्वजनिक उपयोग में आता है। उनका यह भी कहना है कि बन्दोबस्ती वाद सं0–02/01–02 अंचल लक्ष्मीपुर में बिना स्थलीय निरीक्षण किये व बिना आम व खास सूचना के प्रकाशन के ही मिली भगत करते हुए बन्दोबस्ती कर दी गई। उनका यह भी कहना है कि बन्दोबस्तदार श्री नागेश्वर यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिये सरकारी नीति के तहत उन्हें भूमि बन्दोबस्त नहीं की जा सकती है। इन सभी आधारों पर उन्होंने बन्दोबस्ती रद्द करने का आग्रह किया है।

बन्दोबस्ती अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर आम सूचना व खास सूचना का तामिला संलग्न है। साथ ही हल्का कर्मचारी व अंचल अधिकारी का स्थल निरीक्षण का जिक्र आदेशफलक पर है। जहाँ तक सरकारी नीति का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति के भूमिहीन व्यक्ति को भी भूमि बन्दोबस्त की जा सकती है। अभिलेख पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा बन्दोबस्तदार को एक स्थान पर

हरिजन लिखा गया है जो कि मात्र एक लिपिकीय भूल प्रतीत होता है क्योंकि शेष सभी जगहों पर उन्हें यादव जाति का ही अंकित किया गया है।

जहाँ तक प्रश्नगत भूमि के पटवन हेतु प्रयोग की बात है इस की जाँच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा कराई गई। उन्होंने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 1400 दिनांक 19.12.12 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का प्रयोग सार्वजनिक रूप से पटवन हेतु किया जाता है। अभिलेख पर ग्रामीणों का परिवाद पत्र भी संलग्न है जिसमें यही अंकित है कि प्रश्नगत भूमि आहर के स्वरूप में ही है।

ऐसी परिस्थिति में जब बन्दोबस्त की गई भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है व खतियान में भी किस्म आहर अंकित है इस भूमि की बन्दोबस्ती उचित नहीं है। बन्दोबस्ती अभिलेख पर भूमि की प्रकृति के परिवर्तन की जाँच व सिंचाई कार्य के लिये इसकी उपयोगिता के संबंध में कोई निरीक्षण प्रतिवेदन आदि अंकित नहीं है। इस प्रकार इस बन्दोबस्ती में प्रकियात्मक त्रुटि भी है। उपरोक्त के आलोक में अंचल लक्ष्मीपुर के बन्दोबस्ती वाद सं0–02/01–02 द्वारा श्री नागेश्वर यादव को की गई बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को अनुपालनार्थ भेजें। L.C.R. निम्न प्राधिकार को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

8/1/16
समाहर्त्ता,
जमुई।

8/1/16
समाहर्त्ता,
जमुई।